स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 46, दिनांकः 29–01–2025

बेगूसराय, बिहार के कुख्यात टाईगर गैंग का सक्रिय सदस्य और विगत ढाई वर्ष से हत्या/डकैती के अभियोग में फरार चल रहा थाना तेघडा, जनपद बेगूसराय, बिहार के मु0अ0सं0 253/22 धारा 396 भादवि व 27 आर्म्स एक्ट एवं मु0अ0सं0 256/23 धारा 307/120बी/34 भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट का वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी शिवदत्त राय एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार।

दिनांकः 29–01–2025 को एस0टीएफ0 उत्तर प्रदेश को बेगूसराय, बिहार का कुख्यात टाईगर गैंग का सक्रिय सदस्य और विगत ढाई वर्ष से हत्या/डकैती के अभियोग में फरार चल रहा थाना तेघडा, जनपद बेगूसराय, बिहार के मु0अ0सं0 253/22 धारा 396 भादवि व 27 आर्म्स एक्ट एवं मु0अ0सं0 256/23 धारा 307/120बी/34 भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट का वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी शिवदत्त राय को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>अभियुक्त का विवरणः–</u>

शिवदत्त राय पुत्र राजकिशोर राय निवासी बनहारा, थाना तेघडा, जनपद बेगूसराय, बिहार ।

<u>गिरफ्तारी का दिनांक समय/स्थानः–</u>

दिनांक 29–01–2025 समय लगभग 13.25 बजे, परीचौक से नोएडा जाने वाले मार्ग पर थाना बीटा–2 गौतमबुद्धनगर क्षेत्र

एसटीएफ, उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर अपराध करने एवं अन्य अपराधों में लिप्त होने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस०टी०एफ० की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके अनुपालन में श्री राज कुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, नोएडा एंव श्री नवेन्दु कुमार, पुलिस उपाधीक्षक एसटीएफ नोएडा के पर्यवेक्षण में उप निरीक्षक श्री केशव शांडिल्य के नेतृत्व में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन की कार्यवाही के दौरान दिनांक 29–01–2025 को एस0टी0एफ0 यूनिट नोएडा की टीम को मुखबिर के माध्यम से ज्ञात हुआ कि उपरोक्त दोनो अभियोगों में वांछित ईनामी अपराधी शिवदत्त राय, (जिसकी सूचना डी0आई0यू0 बेगूसराय बिहार से साझा की जा रही थी) परी चौक से नोएडा की तरफ जाने वाले रास्ते पर कहीं जाने की फिराक में खडा है। इस सूचना को विकसित करने के उपरान्त तत्काल कार्यवाही करते हुए मुखबिर की निशादेही पर घेराबंदी करके अभियुक्त शिवदत्त राय को समय करीब 13.25 बजे गिरफ्तार कर लिया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त शिवदत्त राय ने पूछताछ पर बताया कि उसकी उम्र लगभग 26 साल है और वह बी0ए0 पास है। बताया कि दिनांक 02–09–2022 को उसने अपने चचेरे भाई सुशील राय एवं शिवलोचन राय आदि के साथ मिलकर सुबोध राय के पुत्र अवनीश व रजनीश से ट्रैक्टर छीना और उनके ऊपर गोली मारकर घायल कर दिया था, जिसमें अवनीश की मृत्यु हो गयी थी तथा रजनीश गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस घटना के सम्बन्ध में थाना तेघडा, जनपद बेगूसराय पर मु0अ0सं0 253/2022 धारा 396 भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट का अभियोग उसके एवं सुशील राय आदि के विरूद्व पंजीकृत हुआ है। उल्लेखनीय है कि इस अभियोग में सुबोध राय एंव उसके परिजनों पर अभियुक्त शिवदत्त राय आदि द्वारा दिनांक 18–08–2023 को समझौता करने का दबाव बनाने के लिए घर पर चढकर कई गोलियॉ चलाई गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना तेघडा पर

मु0अ0सं0 256/2023 धारा 307/120बी/34 भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट का अभियोग बनाम शिवदत्त राय आदि के विरूद्व पंजीकृत हुआ है।

उल्लेखनीय है कि उपरोक्त दोनो अभियोगों में अभियुक्त शिवदत्त राय फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर पुलिस उपमहानिरीक्षक बेगूसराय क्षेत्र, बेगूसराय बिहार के स्तर से रू0 50 हजार का पुरस्कार घोषित हो रखा था ।

गिरफ्तार अभियुक्त शिवदत्त राय , उपरोक्त के विरूद्व निम्न अभियोग का पंजीकृत होना ज्ञात हुआ है–

क0सं0	मु0अ0स0	धारा	थाना	जनपद
1	253/22	396 भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट	तेघडा	बेगूसराय बिहार
2	256/23	307/120बी/34 भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट	तेघडा	बेगूसराय बिहार

डी0आई0यू0 बेगूसराय बिहार पुलिस एवं एस0टी0एफ0 यूनिट गौतमबुद्धनगर की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 29–01–2025 को अभियुक्त शिवदत्त राय को गिरफ्तार किया गया। तदोपरान्त विधिक प्रक्रिया से अभियुक्त शिवदत्त राय को डी0आई0यू0 बेगूसराय बिहार पुलिस के सुपुर्द किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही डी0आई0यू0 बेगूसराय बिहार पुलिस द्वारा की जा रही है।